लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स एक्सेंट मिनमेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक–श्री नरेंद्र सिंह, पिता–स्वर्गीय श्योदत्त सिंह, जी.ई.–16, सिटी सेंटर, सेक्टर–4, जिला–बोकारो, झारखण्ड द्वारा भोजपुर सोन–15 बालू घाट, मौजा–चिल्हौंस, ब्लॉक–संदेश, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 01.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय संदेश, संदेश, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2277/2023, dated 03.02.2023 के आलोक में श्री सुनील कुमार पाण्डेय, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 01.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अचंल कार्यालय संदेश, संदेश, भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (940 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण,

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री अशोक कुमार सिंह, पिता– स्वं देव कुमार सिंह, ग्राम–त्रिकौल, जिला– भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि वृक्ष किस तरह के लगेंगे एवं उनका रख–रखाव कौन करेंगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाये जायेंगे एवं इनके रख–रखाव के लिए एक स्थानीय माली भी रखा जायेगा। साथ–ही स्थानीय ग्रामीण अपनी रैयती जमीन में वृक्षारोपण करना चाहेंगे तो उनको संवेदक द्वारा पेड़ मुफ्त में उपलब्ध कराया जायेगा। इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन 03 मी0 तक ही किया जाना है लेकिन 03 मी0 से अधिक किया जाता है। इससे नदी में तालाब बन जाती है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह खनन परियोजना नया है इसमें 03 मी0 से अधिक खुदाई नहीं होगी। इस परियोजना में सभी कार्य नियम के तहत् होगी।
2.	श्री बबलू कुमार सिंह, पिता– श्री काली प्रसाद, ग्राम–चिल्हौंस, जिला– भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना में जो रास्ता पर परिवहन होता है, आबादी के बीच नहीं होना चाहिए। कामगारों की संख्या कितनी होगी। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन हेतु आबादी से अलग रास्ते का इस्तेमाल किया जायेगा। इस परियोजना में कुल 107 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके अलावे अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन होगा।
3.	श्री चन्द्रभूषण सिंह, पिता–स्व0 सुरेश प्रसाद सिंह, ग्राम–त्रिकौल, जिला– भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन के दौरान सड़क पर धूल काफी उड़ता है। जिससे साईकिल एवं बाईक से आने जाने वाले को आँख में धूल

		पड़ जाता है। जिससे दूर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसके लिये क्या प्रावधान किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया बालू से लदा वाहन का परिवहन तिरपाल से ढ़क्कर किया जायेगा, ओभर–लोडिंग नहीं किया जायेगा एवं पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जायेगा।
4.	मो0 शशिकांत चौबे, ग्राम–संदेश, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन 03 मी0 से अधिक नही किया जाय।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू खनन वैध नहीं होगा तो अवैध होगा। उससे सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा और विकास का कार्य नहीं होगा। इसलिए वैध खनन जरूरी है, इससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है।

खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इसके लिए जिला में 100 उच्च विद्यालय का चुनाव किया गया है उसके विकास का कार्य किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को भेजने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

4-8-23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्,पटना

04/08/23

निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
भोजपुर

उपस्थिति सूची

मेसर्स एक्सेंट मिनमेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक-श्री नरेंद्र सिंह द्वारा सोन-15 बालू घाट, मौजा-चिल्हौंस, अंचल-संदेश, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान-अंचल कार्यालय संदेश, संदेश दिनांक 01.08.2023 समय-03:00 P.M

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सुनील कुमार पाण्डेय	Director, DRDA, Bhojpur Ara.	[signature] 01/08/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बि.रा. प्र.नि. पर्षद, पटना	[signature] 1-8-23
3.	Ravi Ranjan Kumar	Consultant, Rian Enviro Pvt. Ltd.	Ravi 1-8-23
4.	Vikram Mishra	Rian Enviro Pvt Ltd	[signature]
5.	Rakesh Kumar	Chilhaus	[signature]
6.	Vikash Kumar	B.S.P.C.B, Patna	Vikash Kumar.
7.	Ashok Kr Singh	Tirthkoul	A Singh
8.	ADITYA SINGH	COMPANY	Aditya Singh
9.	Arvind Kumar	Company	Arvind K
10.	[illegible]	Tirthkaul	[signature]
11.	Virendra Pratap Singh	Company	Virendra P Singh
12.	Babalu Singh	Chilhos	Babalu
13.	M.K. Singh	Tirthkaul	M Singh
14.	Kundan Singh.	Thirthkoul	K. Singh
15.	शशि कान्त चौबे	संदेश	[signature]
16.	चन्द्रभूषण सिंह	तीर्थकौल	चन्द्र [signature]
17.	रामानुज सिंह	तीर्थकौल	[signature]
18.	प्रवीण कुमार सिंह	तीर्थकौल	[signature]

19.	Manoj Singh	Prithlaal	M Singh
20.	Gopal Singh	Chilhose	[illegible]
21.	Sudhanshu	Chilhose	Sudhanshu
22.	Prakash -	Tirthkaul	Prakash-Kumar
23.	KARAN SINGH	CHILHOSE	Karan Singh
24.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			